न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 54/2019

1 श्रीमती कजोड़ी देवी पुत्री जगदीश पौत्री भैरूराम धर्मपत्नी सीताराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बरसिंहपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र भगवान सहाय।
2 गिरधारी पुत्री भगवान सहाय समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण प्लॉट नम्बर डी–53, बी 2 झखेश्वर मार्ग माधोसिंह सर्किल के पास बनीपार्क जयपुर।
3 पटवारी पटवार हल्का बरसिंहपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 श्रीमान उप पंजियक खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 05.07.2019 (वाद संख्या 159/2017) उनवानी श्रीमती कजोड़ी देवी बनाम बाबूलाल व अन्य जिसके द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 159/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरसिंहपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 419, 420,431,429,430 के सम्बंध में वादिया अपीलार्थी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 को प्रतिवादी बनाते हुये प्रस्तुत किया है। दौराने सुनवाई विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने इस आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश में विचारण न्यायालय में यह निर्देश प्रदान किये है कि अपीलांट वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर शून्य घोषित करवाये। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट ने वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है क्योंकि विवादित भूमि पैतृक है पैतृक भूमि के सन्दर्भ में वसीयत वैध नही है। पैतृक भूमि में उतराधिकार के आधार पर अपीलांट का दावा विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा वर्जित नही है। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुये न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि वे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादौत्तर को अथवा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर तथाकथित न्यायिक विवके लगाकर अंतिम निर्णय पारित कर सकें। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित नहीं किया जा सकता और आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय वाद पत्र के आधार पर वादकरण के अभाव में किया जाता है अथवा विधि द्वारा वर्जित होने पर वाद खारिज किया जाता है। विचाराधीन वाद में ऐसा कोई कारण उपलब्ध नही है कि वाद विधि द्वारा वर्जित मानते हुये खारिज योग्य हो। वादिया द्वारा कृषि भूमि के सम्बंध में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है जो दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 तथा तृतीय परिशिष्ट के आईटम संख्या 5 व 23 सी के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार में ही आता है। विधि अनुसार वाद का निर्णय तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर होता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आदेश 7 नियम 11 के विधिक प्रावधान, ए.आई. आर. 2011 गुजरात पेज 42 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की पैत्रिक सम्पति होने का अभिकथन करते हुये उद्घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद की अपील पेश की है। अपीलांट की अपील कतई चलने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट ने जिन खसरा नम्बर के बाबत अपील पेश की है उन्ही खसरा नम्बर के सम्बंध में पूर्व में एक वाद उनवानी बाबूलाल बनाम गौरू आदि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जिसमें अपीलांट ने पक्षकार बनने हेतु एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया। उसी समय अपीलांट को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 बाबूलाल व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेंट संख्या 2 गिरधारी के नाम होने की जानकारी हो गई थी। विवादित भूमि खसरा नम्बर 417,420,431,429,430 के बाबत पूर्व वाद बाबूलाल बनाम गौरू में अपीलांट की माताजी श्रीमती सुरजी देवी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30.04.2007 को पेश किया गया था। उस समय से ही अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी की जानकारी थी। अपीलांट की माताजी का शपथ पत्र व पूर्व में चले वाद की सम्पूर्ण जानकारी अपीलांट को होने के बावजूद यह अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी की जानकारी अपीलांट को 2007 में हो गई थी जो कि इसी सम्पदा के सम्बंध में पूर्व में चला वाद बाबूलाल बनाम गौरू में अपीलांट ने पक्षकार बनने का जो आवेदन पेश किया था उसी समय उनको जानकारी हो गई थी। जानकारी होने से 10 वर्ष से अधिक समय के बाद 2017 में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा पेश किया है। जिसकी अपील विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। कानूनन मियाद अधिनियम के अनुसार वाद कारण से तीन वर्ष की अवधि तक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अपीलांट को विवादित भूमि के रिकार्ड की जानकारी 2007 में होने तथा दावा 2017 में पेश करना यानि जानकारी होने के 10 वर्ष पश्चात दावा पेश किया है। मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से समयावधि से बाधित है। इस कारण अपीलांट का वाद मियाद बाहर होने के कारण विचारण न्यायालय एस.डी.ओ. खण्डेला ने अपीलांट का वाद खारिज किया है। अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 बाबूलाल स्व0 सुखाराम का गोद का पुत्र होने की जानकारी शुरू से ही रही है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में वसीयत की जानकारी भी अपीलांट को शुरू से रही है। अपीलांट को गोद पुत्र व वसीयत की जानकारी होने के बावजूद भी आज तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में उक्त दोनों दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी है। अर्थात सिविल न्यायालय में आज तक उनको निरस्त करने हेतु कोई दावा नहीं किया है। रेवेन्यू न्यायालय को उक्त दस्तावेजों को निरस्त करने का अधिकार नहीं होने के कारण विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने अपीलांट का वाद सही रूप से खारिज किया है। अपीलांट की मां का शपथ पत्र दिनांक 30.04.2007 भी उक्त तथ्य की ताईद करता है तथा अपीलांट स्वयं ने भी पूर्व में न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला में विचाराधीन वाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 को दतक पुत्र मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश किया और रेस्पोडेंट संख्या 1 को दत्तक ग्रहण करना स्वीकार किया है। अपीलांट एकतरफा तो रेस्पोडेंट संख्या 1 को गोद पुत्र होना मान्य करती है दूसरी ओर उक्त गोदनामे को शून्य घोषित करवाना चाह रही है। दोनों कथन विरोधाभासी है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद पेश किया है वह वाद स्पष्टतया समयावधि द्वारा वर्जित होने एवं अपीलांट के स्वयं के कार्यकलापों से बाधित होने के कारण विचारण न्यायालय ने अपीलांट का वाद सही रूप से खारिज किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की पैत्रिक सम्पति होने का अभिकथन करते हुये उद्घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद की अपील पेश की है। अपीलांट ने जिन खसरा नम्बर के बाबत अपील पेश की है उन्ही खसरा नम्बर के सम्बंध में पूर्व में एक वाद उनवानी बाबूलाल बनाम गौरू आदि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जिसमें अपीलांट ने पक्षकार बनने हेतु एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया। उसी समय अपीलांट को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 बाबूलाल व रेस्पोडेंट संख्या 2 गिरधारी के नाम होने की जानकारी हो गई थी। विवादित भूमि खसरा नम्बर 417,420,431, 429,430 के बाबत पूर्व वाद बाबूलाल बनाम गौरू में अपीलांट की माताजी श्रीमती सुरजी देवी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30.04.2007 को पेश किया गया था। उस समय से ही अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी की जानकारी थी। अपीलांट की माताजी का शपथ पत्र व पूर्व में चले वाद की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सम्पूर्ण जानकारी अपीलांट को होने के बावजूद यह अपील पेश की है रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी की जानकारी अपीलांट को 2007 में हो गई थी जो कि इसी सम्पदा के सम्बंध में पूर्व में चला वाद बाबूलाल बनाम गौरू में अपीलांट ने पक्षकार बनने का जो आवेदन पेश किया था उसी समय उनको जानकारी हो गई थी। जानकारी होने से 10 वर्ष से अधिक समय के बाद 2017 में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा पेश किया है। कानूनन मियाद अधिनियम के अनुसार वाद कारण से तीन वर्ष की अवधि तक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अपीलांट को विवादित भूमि के रिकार्ड की जानकारी 2007 में होने तथा दावा 2017 में पेश करना यानि जानकारी होने के 10 वर्ष पश्चात दावा पेश किया है। मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से समयावधि से बाधित है। इस कारण अपीलांट का वाद मियाद बाहर होने के कारण विचारण न्यायालय एस.डी.ओ. खण्डेला ने अपीलांट का वाद खारिज किया है। अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 बाबूलाल स्व0 सुखाराम का गोद का पुत्र होने की जानकारी शुरू से ही रही है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में वसीयत की जानकारी भी अपीलांट को शुरू से रही है। अपीलांट को गोद पुत्र व वसीयत की जानकारी होने के बावजूद भी आज तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में उक्त दोनों दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी है। अर्थात सिविल न्यायालय में आज तक उनको निरस्त करने हेतु कोई दावा नहीं किया है। रेवेन्यू न्यायालय को उक्त दस्तावेजों को निरस्त करने का अधिकार नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय ने अपीलांट का वाद सही रूप से खारिज किया है। अपीलांट की मां का शपथ पत्र दिनांक 30.04.2007 भी उक्त तथ्य की ताईद करता है तथा अपीलांट स्वयं ने भी पूर्व में न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला में विचाराधीन वाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 को दतक पुत्र मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश किया और रेस्पोडेंट संख्या 1 को दत्तक ग्रहण करना स्वीकार किया है। अपीलांट एकतरफा तो रेस्पोडेंट संख्या 1 को गोद पुत्र होना मान्य करती है दूसरी ओर उक्त गोदनामे को शून्य घोषित करवाना चाह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रही है। दोनों कथन विरोधाभासी है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद पेश किया है वह वाद स्पष्टतया समयावधि द्वारा वर्जित होने एवं अपीलांट के स्वयं के कार्यकलापों से बाधित होने के कारण विचारण न्यायालय ने अपीलांट का वाद सही रूप से खारिज किया है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर